संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/600 10/10/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: RoDTEP समिति 2025 के गठन के संबंध में और निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) और राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (RoSCTL) दरों की छूट की समीक्षा के लिए डेटा प्रारूप पर टिप्पणियों का अनुरोध

भारत सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना और राज्य एवं केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना के तहत अधिसूचित छूट दरों की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए आरओडीटीईपी समिति 2025 का गठन किया है।

संदर्भ की शर्तें

समिति के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए), निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू), विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और अग्रिम प्राधिकरण (एए) योजनाओं के तहत निर्यात के लिए आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल दरों पर विचार एकत्र करने के लिए मंत्रालयों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करना।
- निर्यातित उत्पाद पर लगने वाले शुल्कों/करों/उपकरों की गणना के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर तौर-तरीके तय करना, जिसमें निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर पूर्व चरण के संचयी अप्रत्यक्ष कर और निर्यातित उत्पाद के वितरण के संबंध में ऐसे अप्रत्यक्ष शुल्कों/करों/उपकरों का समावेश हो, और अपनी रिपोर्ट में डीटीए, एए, ईओयू और एसईजेड निर्यातों के लिए आरओएससीटीएल और आरओडीटीईपी योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम दरों की सिफारिश करना। सिमित डीटीए, एए, ईओयू और एसईजेड निर्यातों पर ऐसे शुल्कों/करों/उपकरों के प्रभाव और अन्य प्रासंगिक कारकों को, जैसा उचित समझा जाए, ध्यान में रख सकती है।

- विभिन्न निर्यात श्रेणियों के लिए RODTEP और ROSCTL योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम दरों की सिफारिश करना।
- संशोधित दर अधिसूचनाओं के बाद उत्पन्न मुद्दों पर अनुपूरक रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

(नोट: यदि आवश्यक हो तो अनुपूरक रिपोर्ट, अधिसूचना के बाद किसी भी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, क्रमशः RODTEP और ROSCTL योजनाओं के तहत संशोधित दरों की अधिसूचना के छह सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।)

 यह जांच करना कि क्या RODTEP, ROSCTL योजनाओं और ड्रॉबैक अनुसूची के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए मौजूदा दरों/सीमाओं में किसी और संशोधन की आवश्यकता है, जिनमें 01.05.2025 से प्रभावी सीमा शुल्क टैरिफ अनुसूची में लाए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, विवरण या सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक में परिवर्तन हुआ है।

समिति ने 9 अक्टूबर 2025 को अपनी पहली बैठक आयोजित की और निर्यातकों द्वारा डेटा प्रस्तुत करने के लिए एक मसौदा प्रारूप अपनाया।

इनपुट के लिए अनुरोध

मसौदा डेटा प्रारूप की एक प्रति अनुलग्नक बी के रूप में यहां से डाउनलोड की जा सकती है। https://membership.plasticsepc.org/mails-images/20251010053509.xlsx

सिमिति **01.04.2024 से 31.03.2025 की** अविध को कवर करने वाले ऑडिट किए गए डेटा के प्रारूप पर आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित करती है।

कृपया अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव 23 अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले निम्नलिखित ईमेल पतों पर भेजें:

bharti@plexconcil.org; shilpa@plexconcil.org

आपकी समय पर दी गई प्रतिक्रिया डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को परिष्कृत करने में सहायता करेगी और उद्योग के दृष्टिकोण का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल